

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री वीरगा राम, आर.ए.एस

13/2025/1311
प्रार्थीगण

बनाम

दिनांक - 26.03.25

अप्रार्थीगण

जेठाराम 2 रामचन्द्र
पेसरान आसूराम
जाति जाट निवासी
सांसियों की बस्ती
बान्दरा तहसील
बाड़मेर ग्रामीण जिला
बाड़मेर।


1 कमला देवी पत्नि गोरखाराम 2 अणसी देवी पत्नि जैसाराम
3 प्रकाश 4 प्रमीला पिसरान केसाराम 5 मोहनलाल पुत्र
जैसाराम 6 रूपाराम पुत्र केसाराम 7 खेमाराम पुत्र जैसाराम 8
गणपत कुमार पुत्र केसाराम 9 जगदीश पुत्र जैसाराम 10
जेठी देवी पत्नि केसाराम 11 टीकमाराम पुत्र रायचन्द 12
ठाकराराम 13 तेजाराम पिसरान केसाराम 14 निम्वाराम पुत्र
जैसाराम जातियान जाट निवासीयान सांसियों की बस्ती,
बान्दरा। 15 अगराराम पुत्र गुणेशाराम फौत के कायम मुकाम
- 15/1 आसुराम 15/2 टीकमाराम 15/3 भंवरालाल
15/4 शंकरलाल पिसरान अगराराम 15/5 तीडी पत्नि
अगराराम जातियान भेघवाल निवासी अलाणियों की ढाणी,
तहसील बाड़मेर ग्रामीण 16 तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, नेखमबन्दी करने बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :-622/2024

दिनांक- 17/03/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सांसियों की बस्ती पटवार क्षेत्र बान्दरा तहसील बाड़मेर
ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1021/819 रकबा 4.0469 हेक्टर, भूमि के चारो तरफ
पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर
नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को
नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर
सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के
मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/-
अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा
किया जावेगा।


(वीरगा राम)

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/1312-15
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

दिनांक- 26.03.25

5. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
6. पटवारी बान्दरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रिकर्ड उपस्थित
रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
7. प्रार्थीगण जेठाराम पुत्र आसूराम जाति जाट निवासी सांसियों की बस्ती बान्दरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण
जिला बाड़मेर।
8. विप्रार्थीगण कमला देवी पत्नि गोरखाराम वगैराह जातियान जाट निवासीयान सांसियों की बस्ती, तहसील
बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर